

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन [Study of attitude of secondary level students towards the concept of marriage]

संजय शर्मा (शोध-छात्र)

शिक्षाशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय)

कोटवा-जमुनीपुर- दुबावल, प्रयागराज, उ.प्र.



Article Info

Volume 5, Issue 3

Page Number : 14-20

Publication Issue :

May-June-2022

Article History

Accepted : 05 May 2022

Published : 15 May 2022

सारांश (Abstract) :

प्रस्तुत शोध पत्र माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन है। जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें न्यादर्श के रूप में प्रयागराज जनपद के सरकारी मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में से 400 छात्र एवं छात्राओं का चयन लॉटरी विधि से किया गया है। जिसमें 200 छात्र-छात्राएं कला वर्ग के एवं 200 छात्र-छात्राएं विज्ञान वर्ग से हैं। शोध के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध की सांख्यिकीय गणना के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात के साथ सार्थकता स्तर का प्रयोग किया गया है। विवाह की अवधारणा की अभिवृत्ति को मापने के लिए प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित "मैरिज एटीट्यूट स्केल" (MAS) का प्रयोग किया गया है। इनसे प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति एक समान है पर कुछ असमानताएं मिलती हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण हो सकती हैं।

Keywords : माध्यमिक स्तर, विवाह, अवधारणा, अभिवृत्ति आदि।

शिक्षा मानव जीवन के निर्माण की वह प्रक्रिया है जो मानव जाति को सहस्र वर्षों के अनुभव के बाद प्राप्त होती है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है उसे समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है।

जान डीवी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि है शिक्षा मनुष्य के लिए है और मनुष्य मानवता के लिए है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। किशोरावस्था को बाल्यवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहा जाता है।

स्टैनले हाल ने कहा है कि "किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था" है। हम किशोरावस्था को एक शब्द में "परिवर्तन" कह सकते हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था की उम्र से गुजरते हैं जिससे उन्हें कुछ

प्रवृत्तियां स्वतः जागृत होती है और कुछ वातावरण के बाद जागृत हो जाती हैं। अतः इस अवस्था में विद्यार्थियों के विचारों को जानना अति आवश्यक होता है। इसी अवस्था में छात्रों में कामभावना जागृत होती है और विवाह की ओर संवेगात्मक से उन्मुख होते हैं। मानव आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है। मानव समाज के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी भी यौन इच्छाओं की पूर्ति से वंचित नहीं होते हैं। मानव में यौन इच्छाओं पूर्ति का आधार मात्र दैहिक न होकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी होता है। जिससे विवाह, परिवार, रिश्तेदारी का जन्म होता है। परंतु यह सब विवाह के द्वारा ही पूर्ण होता है।

भारतीय समाज में इसी किशोरावस्था में अधिकांश विद्यार्थी वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं या बधने की ओर अग्रसर होते हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी 18 वर्ष तक के होते हैं। विवाह जितनी ही अधिक उम्र में होगी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जनित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसी समस्या से निजात के लिए इस शोध की आवश्यकता पड़ी।

अध्ययन की आवश्यकता : वैस्टरमार्क ने लिखा है कि "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न संतानों को अधिकार एवं कर्तव्य का समावेश होता है प्राचीन काल में लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु अलग-अलग मिलती है जो हर काल में एक समान नहीं रहती है। विवाह से अनेक समस्याओं का जन्म होता है जिसमें जनसंख्या विस्फोट एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। अधिक संतान की उत्पत्ति, भारतीय समाज में समृद्धि का प्रतीक माना जाती है। शिशु की मृत्युदर भारत में अधिक है। कम संतान होने से मरने की संभावना अधिक होती है तो परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ऐसी धारणा भारत के समाज में बनी हुई है। दो बच्चे को आदर्श परिवार माना जाए तो भी कम ही लोग स्वीकार करते हैं। इस तरह से अनेक समस्याएं हैं जिनके अध्ययन की आवश्यकता है। इस शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विवाह के प्रति मानव की स्वीकृति एवं अस्वीकृति कहां तक है जानने का प्रयास किया गया है।

समस्या का कथन : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है जबकि इसके बाद की अवस्था में यह प्रवृत्ति तो पाई जाती है परंतु शांत एवं संरचना का भाव निहित रहता है। आज यह आवश्यकता है कि अल्प आयु एवं पूर्ण किशोरावस्था में विवाह करने के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन हो।

उपयुक्त विवेचना के आधार पर शोध समस्या का शीर्षक निम्न वत है।

"माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

शोध का उद्देश्य : शोधार्थी द्वारा निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

- (1) माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- (2) विषय वर्ग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

परिकल्पना : निम्नलिखित परिकल्पनायें हैं।

- (1) माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- (2) माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- (3) माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

(4) माध्यमिक स्तर के कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि : शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है। सर्वेक्षण विधि में मुख्य रूप से तीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है वे सूचनाएं हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, तथा हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?।

न्यादर्श : न्यादर्श एक समष्टि का वह अंश होता है, जिसमें समष्टि के अध्ययन हेतु समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है। चूंकि संपूर्ण समष्टि पर शोध कार्य करना, समय, शक्ति, श्रम, धन एवं परिणाम की दृष्टि से बहुत कठिन है। इसीलिए संपूर्ण समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। उन पर उनके आंकड़े प्राप्त करके शोध कार्य पूर्ण किया जाता है। इस न्यादर्श में ऐसे माध्यमिक स्तरीय सरकारी विद्यालय आते हैं जो प्रयागराज जनपद के शहरी क्षेत्र में सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से कुल 400 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जिसमें 200 छात्र एवं 200 छात्राएं सम्मिलित हैं।

उपकरण : शोध समस्या से संबंधित परिकल्पना के निर्माण के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। इस शोध अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति की जांच करने के लिए प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित हिंदी वर्जन की "मैरिज एटीट्यूड स्केल" (MAS) प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रमाणित प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख हां या नहीं अंकित है। उन बालकों को इनके सामने अपनी सहमति, असहमति, अनिश्चितता के अनुसार गोला खींचना है। प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों में केवल 28, 29, 31 और 33 को छोड़कर सभी प्रश्न सकारात्मक हैं। प्रश्नावली में सकारात्मक मूल्यों वाले प्रश्नों के लिए हां पर 3 अंक अनिश्चितता के लिए 2 अंक एवं नहीं के लिए 1 अंक दिया गया है। परंतु नकारात्मक मूल्य वाले प्रश्नों के लिए हां के लिए 1, अनिश्चितता के लिए 2 अंक तथा नहीं के लिए 3 अंक दिया गया है।

उपकरणों का प्रशासनिकरण : प्रमापीकृत प्रश्नावली को एक प्रतिदर्श पर प्रशासित कराया गया। प्रदत्त संकलन हेतु चयनित न्यादर्श को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रश्नावली का प्रशासन किया गया। निश्चित समय के पश्चात प्रश्नावली को संकलित करके फलांकन, प्रश्नावली निर्माण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के सहयोग से किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधि : शोध उद्देश्यों की प्राप्ति आंकड़ों के संकलन तथा उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधि के विश्लेषण द्वारा ही संभव है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात के मान का प्रयोग शोध अध्ययन में किया गया है।

(1) मध्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र :

$$M = A.M. + (\sum fd/N) \times i$$

(2) मानक विचलन ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त सूत्र :

$$S.D. = (\sum f) \sqrt{\sum fd^2/N - (\sum fd/N)^2}$$

मध्यमान तथा मानक विचलन की गणना से प्राप्त मानों की सहायता से क्रांतिक अनुपात (C.R) मान की गणना की गई।

(3) क्रांतिक अनुपात मान के लिए प्रयुक्त सूत्र :

$$C.R. = m^1 - m^2 / \sqrt{\frac{\sigma^2}{N^1 + \sigma^2} N^2}$$

सार्थकता स्तर के लिए शोध में 0.05 एवं 0.01 स्तर पर विभिन्न मध्यमानों के बीच अन्तर के सार्थकता की जांच की गई उसी पर विभिन्न अभिवृत्तियों को स्वीकार एवं अस्वीकार किया गया है ।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात की तालिकाओं को प्रस्तुत किया गया है ।

परिकल्पना सं. 01 :

माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.1

क्र.सं.	माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1	छात्र N=400	84.25	13.32	3.25	+0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है
2	छात्राएं N=400	87.10	11.35		

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों का विवाह के प्रति मध्यमान 84.25 तथा मानक विचलन 13.32 है तथा माध्यमिक स्तर की छात्राओं का विवाह के प्रति मध्यमान 87.10 तथा मानक विचलन 11.35 है । दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 3.25 है जो कि सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है ।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है,, अस्वीकृत की जाती है क्योंकि उपयुक्त विवेचना में माध्यमिक स्तर के छात्रों की अपेक्षा माध्यमिक स्तर के छात्राओं में विवाह के प्रति सापेक्ष अंतर है ।

परिकल्पना सं.02

माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.2

क्र.सं.	कला वर्ग के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक	क्रान्तिक	सार्थकता स्तर
---------	----------------------------	---------	------	-----------	---------------

			विचलन	अनुपात	
1	कला वर्ग के छात्र N=200	85.07	11.13	1.33	किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है
2	कला वर्ग की छात्राएं N=200	86.53	10.75		

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के छात्रों का मध्यमान 85.07 है तथा मानक विचलन 11.13 है तथा माध्यमिक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं का मध्यमान 86.53 है तथा मानक विचलन 10.75 है । दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 1.33 है जो सार्थकता के किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित नहीं करता है ।

अतः परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है । उपरोक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं का मध्यमान छात्रों की अपेक्षा अधिक है लेकिन सार्थक अंतर न होने के कारण परिणाम समान है ।

परिकल्पना सं. 03

माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.3

क्र.सं.	विज्ञान वर्ग के छात्र- छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1	विज्ञान वर्ग के छात्र N=200	88.71	14.27	3.04	+0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है
2	विज्ञान वर्ग की छात्राएं N=200	87.70	11.95		

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के छात्रों का विवाह के प्रति मध्यमान 88.71 है तथा मानक विचलन 14.27 है, तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं का विवाह के प्रति मध्यमान 87.70 तथा मानक विचलन 11.95 है । इन दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 3.04 है जो सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है ।

अतः परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है ।

उपयुक्त तालिका के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर की विज्ञान वर्ग की छात्राओं का मध्यमान विज्ञान वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

परिकल्पना सं. 04

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं का विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.4

क्र.सं.	कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1	कला वर्ग के छात्र-छात्राएं N=400	85.80	10.95	0.11	किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है
2	विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं N=400	85.70	13.29		

(4) माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान दोनों वर्ग के छात्र-छात्राओं की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति समान है अर्थात् दोनों शासन द्वारा निर्धारित उम्र पर विवाह करने के पक्ष में है।

सुझाव :

- (1) विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विवाह, परिवार विषय को सम्मिलित किया जाए जिससे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों तथा परिवार से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक बनाया जा सके।
- (2) महिलाओं को घर से बाहर निकलकर रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर होने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे शीघ्र विवाह का विरोध, जनसंख्या वृद्धि पर रोक आदि पर महिलाएं निर्णय ले सकें।
- (3) माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाओं में विवाह, परिवार आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (4) समाज में महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देना चाहिए वे शिक्षित होंगी तो समाज में अनेक बुराइयों का खात्मा हो सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ : प्रस्तुत अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं।

- (1) आज के आधुनिक समय में पिछड़ी एवं निम्न जातियां विवाह के प्रति जागरूक नहीं हैं। जिसका मूल कारण अच्छी शिक्षा का अभाव है। अनुसंधान के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्राएं सभी जाति एवं वर्ग के लोग कम उम्र में विवाह करना नहीं चाहते हैं परंतु इसके लिए उन्हें जागरूक करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, जो शासन द्वारा करनी चाहिए जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें।
- (2) निम्न एवं पिछड़ी जातियों को विशेष रूप से जागरूक बनाने की आवश्यकता है उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि अति शीघ्र विवाह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तथा कम उम्र में मां बनना यह महिलाओं को कमजोर और बीमार बना देती हैं वहीं पर जनसंख्या वृद्धि, से अधिक समस्याएं को बढ़ावा मिलता है।

(3) समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब कम उम्र में विवाह जैसे बंधन में लोग बधना नहीं चाहेंगे परिवार का ढांचा आर्थिक स्थिति खराब होने से बिगड़ जाती है और घर में विपन्नता आ जाती है सभी प्रकार के विकास रूक जाते हैं उनकी सोच केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित हो जाती है। इसके लिए सुझाव की आवश्यकता है।

भावी अनुसंधान हेतु सम्भावनायें : भावी अनुसंधान हेतु निम्नलिखित संभावनाएं हैं।

(1) प्रस्तुत शोध प्रयागराज जनपद के शहरी छात्र छात्राओं पर किया गया है। भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों पर भी शोध किया जा सकता है।

(2) यह शोध माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के बीच किया गया है अतः भविष्य में समाज के अन्य आयु वर्ग स्नातक स्तर के लोगों पर भी शोध किया जा सकता है।

(3) प्रस्तुत शोध केवल विवाह को लेकर किया गया है भविष्य में विवाह के साथ-साथ दहेज, जनसंख्या वृद्धि, परिवार की अवधारणाओं पर भी शोध किया जा सकता है।

(4) प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में विवाह के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है भविष्य में समग्र रूप से इस पर समूह द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा सकता है।

(5) विवाहित और अविवाहित स्त्री पुरुषों पर विस्तृत क्षेत्र पर अनुसंधान किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. www.unicef.org/.../2013childmarraige...
2. en.wikipedia.org/.../childmarraigein....
3. अग्रवाल, सी. (2003), भारतीय नारी : विविध आयाम, दिल्ली : इंडियन पब्लिशर्स।
4. कपिल, एच. के. (2007), अनुसंधान विधियां, आगरा : हरप्रसाद भार्गव।
5. कुमार, आर. (2005), नारी के बदलते आयाम, नई दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
6. गुप्ता, एस.पी. (2005), सांख्यिकीय विधियां, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
7. चंद्रलेखा, (2014), प्राचीन भारत में लड़कियों के विवाह की आयु, अनुकृति।
8. जैन, शोभिता, (2004), भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।
9. शर्मा, कुमुद (2002), नारी शिक्षा की चुनौतियां, समाज कल्याण के क्षेत्र, समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. सिंह, एम.एन. (2006), महिला सशक्तिकरण का सच, नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स।
11. सारस्वत, मालती (1979), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, लखनऊ : आलोक प्रकाशन।
12. राजा रमन, इंदिरा (2007), 11वीं योजना में महिलाएं, योजना 51(2), 321।
13. राय, पारसनाथ (2006), शैक्षिक अनुसंधान, आगरा : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
14. भाटी, कांता (2004), महिला उत्पीड़न, दहेज, प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, जयपुर पोइन्टर पब्लिशर्स।